कार्यालय,
सचिव, अशिक्षित शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- अशिप/परिषद लखनऊ/2019/1134 लखनऊ दिनांक 15-5-2019

-कार्यालय ज्ञापन-

अशिक्षित भारतीयों साक्षरतीयों शिक्षा परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु नियोजित प्रारम्भिक साक्षरतीयों शिक्षण संस्थाओं को अनुदानदान प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्रारम्भिक अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, से समयानुसार/समयानुसार नियमावली अनुरूप किए जाने हेतु नियमावली 15-6-2019 को आयोजन अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेशनगर की आयोजनार्थ में विभिन्न आयोजनार्थ में दिनांक 15-6-2019 को आयोजन शुरू। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु अशिक्षित नई संस्थाओं को समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं का समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2019-20 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त के अनुक्रम में समयानुसार समिति की दिनांक 08-5-19 के नियमावली द्वारा दी गयी समयानुसार संस्तुति करते हुये मुझे यह समयानुसार होना था आवश्यक लगा रहा। समयानुसार समिति द्वारा प्रदान दिनांक-दिनांक पत्र निम्नवत् निर्णय लिया गया –

> **" संलग्नक-1 में अंकित संस्थीकी समयानुसारों के समयोचित नियमित साक्षित संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा नियम-दिनांक किया गया और संलग्नक-1 में अंकित नियमन के अनुसार संस्थाओं को रू0 2019-20 हेतु निर्धारित समयानुसार सहित के आधार पर्यन्त अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेशनगर से समयानुसार नियमन प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"**

अतः निम्नानुसार संक्षिप्त संस्था को साक्षित की समयानुसार समिति द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर अशिक्षित शिक्षा परिषद, यह का व्यवस्था द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु नियमावलित संस्थाओं के आवेदन पत्रानुसार पूर्व संस्थाओं अशिक्षा प्रसार अभियान हेतु समयानुसार प्रदान की जाती है –

क्रम संख्या	जनपद कोड	जनपद का नाम	समयानुसार का नाम	संस्थाओं/केन्द्रों/ पीसीओ द्वारा वर्ष 2019-20 में अनुमोदित प्रौढ़ साक्षर	वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमोदित प्रौढ़ साक्षर संख्या
1	1234	मुरादाबाद प्रौढ़शिक्षण एजेन्सी, मुरादाबाद, मोहल्ला रोड, कोई पता अलवर।	प्रौढ़शिक्षा केन्द्र(पुरुष) शिक्षित मुस्लिम मुस्लिमबालिका (पुरुष) मुस्लिमशिक्षित मुस्लिम मिश्रितशिक्षा मुस्लिम(पुरुष)	50 100 50 50 100	50 100 50 50 100

समयदान हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एजेन्सी/संस्थीकी द्वारा नियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश अशिक्षित शिक्षा परिषद द्वारा 1992 तथा अशिक्षित शिक्षा परिषद नियमावली 1992 तथा समय समय नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य नियमन संस्थीकी द्वारा नियमित मुख्य तीन संस्थीकी द्वारा नियमावली हेतु रू0 30,000.00/- अग्रिमतः एवं अंतिम संस्थीकी परीक्षण हेतु रू0- 60,000.00/- अग्रिमतः एवं दूसरा तथा दो संस्थीकी नियमावली (दो संस्थीकी संस्थीकी परीक्षण के संस्थीकी हेतु रू0- 30,000.00 संस्थीकी मुख्य दो अलग अलग/ तथा दो साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक/साक्षर के अशिक्षित साक्ष/साक्षरों के मुख्य के समयान्तर में तथा-अलग तथा साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक संस्था समयानुसार रुपयों होगी, और समयानुसार समितियों दिनांक तथा अनुमोदन दिनांक। परीक्षा नियमित समिति द्वारा यदि तथा वर्ष 2019-20 हेतु अंतिम तय मुल्यांकन दिनांक तथा 31 जी तीन की नवीनतम की जायेगी।
- ✓ संस्था को उपरोक्त अशिक्षित शिक्षा परिषदों तथा उप संस्थीकी, समयदाता को समयानुसार दिनांक पत्रानुसार नियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रौढ़ परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यों को भी प्रौढ़ दिया जायेगा। जो संस्था में नियमित रूप से नहीं की जायेगी में उत्तर प्रौढ़ साक्षरों के निर्देशानुसार में प्रौढ़ की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था का पत्र-व्यवहार का दिनांक आवश्यकता के अनुसार नियमित मुख्य पत्र व्यवहार मुख्य पत्र व्यवहार होगा।
- ✓ संस्था को मुख्यालय/संस्थीकी/संस्थीकेन्द्रों से आवश्यक पत्र हेतु अनुमोदन द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश साक्षरता द्वारा कार्यों पर दिनांक/साक्षर/अशिक्षित/साक्षरतीयों/दिनांक एवं नियमित, अशिक्षित शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रौढ़ परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कराये गये नियमों, दिनांकवली, उपनियमों, नियमों का पालन पूर्ण से दिये गये।
- ✓ नियमित द्वारा समयानुसार समितियों की समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, समयानुसार प्रौढ़ परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2019-20 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2019-20 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2019-20 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2019-20 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2019-20 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2019-20 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2019-20 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।

(रामवीर कुमार सिंह)
सचिव

पत्रांक:- अशिप/परिषद लखनऊ/2019/1133-2060 लखनऊ दिनांक 15-5-2019

प्रतिलिपि- समस्तसंस्थी/निदेशक, मुख्यालय प्रौढ़शिक्षण एजेन्सीयों, ईसाद, एसोसिएशन एजेन्सी, प्रौढ़ परिषद, लखनऊ।

(रामवीर कुमार सिंह)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, अशिक्षित शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक:- अशिप/परिषद लखनऊ/2020/1011 लखनऊ, दिनांक: 15-5-2020

-कार्यालय ज्ञापन-

अशिक्षित भारतीयों साक्षरतीयों शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/संस्थीकी साक्षरतीयता अशिक्षा प्रौढ़शिक्षा, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु नियमावलित साक्षरतीयों शिक्षण संस्थाओं को अनुदानदान प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्रारम्भिक अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेशनगर से समयानुसार/समयानुसार नियमन प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 15-6-2020 को आयोजन प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेशनगर की आयोजनार्थ में विभिन्न आयोजनार्थ में दिनांक आयोजन शुरू। वित्तीय वर्ष प्रारम्भिक द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु प्रारम्भिक नई संस्थाओं को समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2020-21 हेतु समयानुसार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में समयानुसार समिति की दिनांक 08-5-19 की नियमावली द्वारा दी गयी समयानुसार संस्तुति करते हुये मुझे यह समयानुसार होना था आवश्यक लगा रहा। समयानुसार समिति द्वारा प्रदान दिनांक-दिनांक पत्र निम्नवत् निर्णय लिया गया –

> **"जिनमें शेष में समयानुसार नियमावली द्वारा द्वारा समयानुसार समयानुसार आवश्यक संस्थाओं संस्थाओं संस्थाओं संस्थाओं संस्थाओं-संस्थाओं नियमन समयानुसार, तो प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेशनगर से पूर्व से समयानुसार हैं, में समयानुसार/संस्थाओं द्वारा पत्र 2020-21 हेतु प्रारम्भिक अनुदानदान नियमन प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पूर्वसंस्थाओं/संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये अनुदानदान नियमन के अनुक्रम में संस्थान में पत्र 2020-21 हेतु समयानुसार नियमन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"**

दिनांक 08-05-2020 की बैठक समयानुसार समिति की बैठक में लिये गये समयानुसार निर्णय के अनुक्रम में नियम संस्था को अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेशनगर द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु नियमावलित संस्थाओं के आवेदन पत्रानुसार पूर्व संस्थाओं अशिक्षा प्रसार अभियान हेतु समयानुसार नियमन प्रदान की जाती है –

क्रम संख्या	जनपद कोड	जनपद का नाम	समयानुसार का नाम	संस्थाओं/केन्द्रों/पुरुष/महिला द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रौढ़ साक्षर	वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुमोदित प्रौढ़ साक्षर संख्या
1	1234	मुरादाबाद प्रौढ़शिक्षण एजेन्सी, मुरादाबाद, मोहल्ला रोड, कोई पता अलवर।	प्रौढ़शिक्षा केन्द्र शिक्षित मुस्लिम मुस्लिमबालिका (पुरुष) मुस्लिमशिक्षित मुस्लिम मिश्रितशिक्षा मुस्लिम(पुरुष)	50 100 50 50 100	50 100 50 50 100

समयदान हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एजेन्सी/संस्थीकी/संस्थीकेन्द्रों द्वारा नियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश अशिक्षित शिक्षा परिषद द्वारा 1992 तथा अशिक्षित शिक्षा परिषद नियमावली 2000 तथा समय समय नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य नियमन संस्थीकी द्वारा नियमित मुख्य तीन संस्थीकी द्वारा नियमावली हेतु रू0 30,000.00/- अग्रिमतः एवं अंतिम संस्थीकी परीक्षण हेतु रू0- 60,000.00/- अग्रिमतः एवं दूसरा तथा दो संस्थीकी नियमावली (दो संस्थीकी संस्थीकी परीक्षण के संस्थीकी हेतु रू0- 30,000.00 संस्थीकी मुख्य दो अलग अलग/ तथा दो साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक/साक्षर के अशिक्षित साक्ष/साक्षरों के मुख्य के समयान्तर में तथा-अलग तथा साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक संस्था समयानुसार रुपयों होगी, और समयानुसार समितियों दिनांक तथा अनुमोदन दिनांक। परीक्षा नियमित समिति द्वारा यदि तथा वर्ष 2020-21 हेतु अंतिम तय मुल्यांकन दिनांक तथा 31 जी तीन की नवीनतम की जायेगी।

- ✓ संस्था को उपरोक्त अशिक्षित शिक्षा परिषदों तथा उप संस्थीकी, समयदाता को समयानुसार नियमन प्रदान नियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रौढ़ परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कार्यों को भी प्रौढ़ दिया जायेगा। जो संस्था में नियमित रूप से नहीं की जायेगी में उत्तर प्रौढ़ साक्षरों के निर्देशानुसार में प्रौढ़ की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था का पत्र-व्यवहार का दिनांक आवश्यकता के अनुसार नियमित मुख्य पत्र व्यवहार मुख्य पत्र व्यवहार होगा।
- ✓ संस्था को मुख्यालय/संस्थीकी/संस्थीकेन्द्रों से आवश्यक पत्र हेतु अनुमोदन द्वारा दिया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदेश साक्षरता द्वारा कार्यों पर दिनांक/साक्षर/अशिक्षित/साक्षरतीयों/दिनांक एवं नियमित, अशिक्षित शिक्षा, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रौढ़ परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा कराये गये नियमों, दिनांकवली, उपनियमों, नियमों का पालन पूर्ण से दिये गये।
- ✓ नियमित द्वारा समयानुसार समितियों की समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2020-21 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2020-21 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2020-21 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को समयानुसार नियमावली के समयानुसार दिनांक दिनांकों, यदि नियमों के अनुपालन प्रदान नहीं है तो इस संस्था में संस्थान दायित्वनियमित संस्था का प्रौढ़ और नियमित रूप से नियमों के कार्यान्वयन से जिस संस्था द्वारा समयानुसार, अशिक्षित शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अशिक्षित शिक्षा नियमावली 2000 के अनुसार संस्था द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ साक्षर द्वारा दिनांक दिनांक तक प्रौढ़ परीक्षा का आयोजन पूर्ण किया जाना है तथा संस्था प्रौढ़ परीक्षा के परिणाम दिनांक दिनांक तक समयानुसार/पूर्व से संचालित संस्थाओं को समयानुसार नियमन/समयानुसार/अंतिम भागता पूर्तिकरण/नवीन हेतु वर्ष 2020-21 हेतु समयानुसार प्रदान किया जाना आवश्यक है।

(उमेश चन्द्रवंशी सिंह)
सचिव

पत्रांक:- अशिप/परिषद लखनऊ/2020/ 1012-1041 लखनऊ दिनांक 15-05-2020

प्रतिलिपि- समस्तसंस्थी/निदेशक, मुख्यालय प्रौढ़शिक्षण एजेन्सीयों, ईसाद, एसोसिएशन एजेन्सी, प्रौढ़ परिषद, लखनऊ।

(उमेश चन्द्रवंशी सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्रा0शि0प0/सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊ- दिनांक- 09/06/2021

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08.06.2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसकी अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1504-KUNAL PROFESSIONAL EDUCATIONAL ACADEMY,TEHARA,GWALIOR ROAD,KHERAGARH,AGRA

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CHEMICAL ENGINEERING (PETRO CHEMICAL)	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	120	120
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	CIVIL ENGINEERING	120	120
5	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटें के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थायें यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा उनका वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त क्षतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनायें जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में सम्बन्धित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार चौकसे)

सचिव

पृ0सं0- प्रा0शि0प0/सम्बद्धता/2021/3538-4809 दिनांक- 09/06/2021

प्रतिलिपि-

संस्थापक/प्रधानाचार्य/निदेशक KUNAL PROFESSIONAL EDUCATIONAL ACADEMY,TEHARA,GWALIOR ROAD,KHERAGARH,AGRA.

(सुनील कुमार चौकसे)

सचिव